रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2014/ चैत्र 12, 1936
No. 106] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2014/CHAITRA 12, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(सरकारी और बैंक लेखा विभाग)

(केंद्रीय ऋण प्रभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 25 मार्च, 2014

डीजीबीए.सीडीडी. सं. 5434 /11.22.001/2013-14.—सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त **शक्तियों** का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 को संशोधित करने हेतु **निम्नलिखित** विनियम बनाता है :-

1. (1) इन विनियमों को सरकारी प्रतिभूति (संशोधन) विनियमावली, 2014 कहा जाएगा।

 (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 में, विनियम 6 में –

 (क) उप-विनियम (2) के बाद **निम्नांकित** उप-विनियम डाला जाए, अर्थात् :—

 "(2क) — सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उप-धारा (3) के अंतर्गत, मृतक एकमात्र धारक अथवा मृतक **संयुक्त** धारकों की सरकारी प्रतिभूति के संबंध में किसी **व्यक्ति** के स्वत्व की पहचान करते समय, बैंक, इस बात के लिए संतुष्ट होने के **पश्चात्** कि सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में कोई दावा नहीं है और जहाँ कि सरकारी प्रतिभूतियों के दावे की कुल राशि दस लाख रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे **व्यक्ति** के स्वत्व की पहचान निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर कर सकते हैं, अर्थात् :—

(ए) यथाविधि निष्पादित मूल सरकारी प्रतिभूति;

(बी) सरकारी प्रतिभूति के धारक का मृत्यु प्रमाणपत्र;

(सी) दावेदार की पहचान के प्रमाण संबंधी दस्तावेज, जिससे बैंक प्राधिकारी संतुष्ट हो सके;

(डी) दावेदार द्वारा हस्ताक्षरित हलफनामा, जिसमें मृत धारक से उसका संबंध (रिश्ता) तथा सरकारी प्रतिभूति के उत्तराधिकार संबंधी अधिकार का वर्णन हो;

(ई) राशि, जिसे बैंक उचित समझे, का बैंक के पक्ष में दावेदार द्वारा निष्पादित क्षतिपूर्ति बांड; और

(एफ) कोई अन्य दस्तावेज, जिसे बैंक सरकारी प्रतिभूति के संबंध में दावेदार के स्वत्व की पहचान के लिए आवश्यक समझे :

परंतु शर्त है कि सरकारी प्रतिभूति का बकाया मूल्य पाँच लाख रुपये से अधिक न हो।";

(ख) उप-विनियम (3) में "उप-विनियम (1) और (2)" के शब्द, कोष्ठक और अंक की जगह शब्द, कोष्ठक और अंक "उप-विनियम (1), (2) और (2क)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

एस. गणेश कुमार, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./38/14]

नोट : प्रमुख विनियमावली भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 1 दिसम्बर, 2007 को प्रकाशित किए गए थे ।

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Government and Bank Accounts)

(CENTRAL DEBT DIVISION)

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th March, 2014

No. DGBA. CDD. 5434/11.22.001/2013-14.—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006), the Reserve Bank of India, with the previous approval of the Central Government, makes the following regulations to amend the Government Securities Regulations, 2007, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Government Securities (Amendment) Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Securities Regulations, 2007, in regulation 6, —

(**a**) after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

"(2A) While considering the recognition of title to the Government security of a deceased sole holder or all deceased joint holders under sub-section (3) of Section 7 of the Act, the Bank, on its satisfaction of the fact that there is no rival claim in respect of the Government security, and where the outstanding value of the claim in respect of the Government securities in aggregate does not exceed an amount of rupees ten lakh, may recognise the title of a person to such Government security on the basis of the following documents, namely :—

(a) Government security in original duly discharged;

(b) death certificate of the deceased holder of the Government security ;

(c) document in proof of identification of the claimant to the satisfaction of the Bank authorities;

(d) affidavit signed by the claimant describing his relationship with the deceased holder and the right to succession to the Government security;

(e) bond of indemnity executed by the claimant in favour of the Bank for such amount as the Bank may think fit ; and

(f) any other document, as the Bank may consider necessary, for recognition of title of the claimant in respect of the Government security :

Provided that the outstanding value of a Government security shall not exceed an amount of rupees five lakh.";

(**b**) in sub-regulation (3) for the words, brackets and figures "sub-regulations (1) and (2)", the words, brackets and figures "sub-regulations (1), (2) and (2A)" shall be substituted.

S. GANESH KUMAR , Chief General Manager-In-Charge

[ADVT. III/4/Exty./38/14]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 1st December, 2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.